न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कासगंज

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1735 / 2022

(CNR UPKR01004142-2022)
JO Code No-UP6124

1–हजारी लाल । पुत्रगण
2–अमर सिंह । बाबूराम
3–दिवारी लाल ।
4–महावीर पुत्र किशन लाल
5–मेघ सिंह पुत्र हजारी लाल
6–भूप सिंह पुत्र हाकिम सिंह
7–संदीप पुत्र हजारीलाल
8–महाराज सिंह पुत्र बाबूराम
9–मनोज पुत्र हजारी लाल
10–सोरन सिंह अमर सिंह
11–राहुल पुत्र दिवारीलाल
12–महेश पुत्र अमर सिंह
13–महावीर पुत्र कलियान सिंह
14–धर्म सिंह पुत्र महावीर
15–रवि पुत्र भूप सिंह एवं
16–नीरज पुत्र महाराज सिंह उर्फ महावीर सिह
निवासीगण नगला बीच थाना ढोलना जिला कासगंज

बनाम्

उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या–215 / 2021
धारा–147, 148, 149, 307, 336, 34, 323, 504, 506, 269, 270, 188. भा.द.सं. व 51बी आपदा प्रबंधन अधिनियम व 7 क्रि0ला0अ0 एक्ट
थाना–ढोलना, जिला–कासगंज

12.10.2022

आवेदक / अभियुक्तगण हजारी लाल ,अमर सिंह ,दिवारी लाल ,महावीर, मेघ सिंह,भूप सिंह,संदीप, महाराज सिंह, मनोज, सोरन सिंह, राहुल, महेश, महावीर, धर्म सिंह, रवि एवं नीरज की तरफ से यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अपराध संख्या–215 / 2021 धारा–147, 148, 149, 307, 336, 34, 323, 504, 506, 269, 270, 188. भा.द. सं. व 51बी आपदा प्रबंधन अधिनियम व 7 क्रि0ला0अ0 एक्ट थाना–ढोलना, जिला–कासगंज में प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक / अभियुक्तगण का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना आरोप पत्र प्रेषित किये जाने तक शर्तो के अधीन स्वीकार किया गया है।

संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उप–निरीक्षक विजय पाल द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 22.06.2021 को वह मय हमराह पुलिस बल के थाना हाजा से रवाना होकर देख रेख शान्ति व्यवस्था रोकथाम जुर्म जरायम व गश्त में मामूर थे कि टेलीफोन से सूचना मिली कि गांव नगला बीच में आवादी (ग्राम समाज) की जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के समर्थकों के मध्य पथराव व फायरिंग, गाली–गलौज तथा लाठी डण्डा व सरियों से एक दूसरे को जान से मारने की नीयत से मारपीट हो रही तथा एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे रहे है कई लोग गुम व खुली चोट लगने से घायल हो गये है। सूचना पर मौके पर जाकर देखा कि ग्राम नगला बीच में दोनो पक्ष एक दूसरे पर लाठी डण्डा व सरियो से मारपीट करते हुये गाली गलौज कर रहे है तथा फायरिंग और पथराव कर रहे है काफी भीड़ इक्ठ्ठी है पथराव व मारपीट तथा गाली गलौज कर जान से मारने की एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। इस कृत्य से गांव नगला बीच में भय व आतंक का माहौल पैदा हो गया तथा गांव में अफरा तफरी मच गयी लोगों ने अपने घर के दरवाजे बन्द कर लिये । वादी व हमराहीगण के द्वारा दोनों पक्षो को देखा कि लगभग सभी लोग अपने हाथों में लाठी डन्डा व सरिया लिये हुये है तथा तमंचे लिये है

काफी भीड इकठ्ठी है इस पर पुलिस बल के द्वारा दोनों पक्षो को ललकारा तो लाठी डण्डा व सरिया व ईट पत्थर तथा तमंचा हाथो में लेकर लहराते हुए भाग गये।

वादी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

उभय पक्षों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिये गये हैं कि उन्हें उपरोक्त मुकदमा में झूँठा फॅसाया गया है। वे निर्दोष हैं। किस पक्ष द्वारा तहरीर नहीं दी गयी है बल्कि पुलिस द्वारा स्वयं अभियोग दर्ज कराया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण सम्मानित व्यक्ति हैं तथा किसी मामले में दोषसिद्ध नहीं है। आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने तक पूर्व में दी गयी अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। किसी भी आग्नेयास्त्र का प्रयोग नहीं हुआ है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्ष्य नही है।आवेदकगण शान्तप्रिय एवं कानून को मानने वाले तथा अच्छे परिवार से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति हैं। थाना ढोलना की पुलिस आये दिन आवेदकगण के यहॉ दविश दे रही है। गिरफ्तार करने की आशंका दर्शाते हुये अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है तथा तर्क प्रस्तुत किया है कि दो पक्षों के बीच ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से गाली गलौज करते हुये एक दूसरे को जान से मारने की नीयत से लाठी, डण्डो व सरियों से मार पीट की तथा फायरिंग व पथराव किया, जिससे कई लोग घायल हो गये और भय का माहौल उत्पन्न हो गया। अतः अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पाने योग्य नहीं है।

अग्रिम जमानत के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्य न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा पारित विधि व्यवस्था **गुरूबक्स सिंह सिब्बिया आदि बनाम पंजाब राज्य (1980)2 सुप्रीम कोर्ट केसेज 581 व 582** महत्वपूर्ण है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा की पूर्ण पीठ द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित सिद्धान्त का उल्लेख किया गया है।

Mere general allegtations of malafides in the petition are inadequate. The court must be satisfied on materials before it that the allegations of malafides are substantial and the accusation appears to be false and groundless.

जिसके सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

Does this rule mean, and that is the argument of the learned Additional Solicitor-General, that anticipatory bail cannot be granted unless it is alleged (and naturally, also shown, because mere allegation is never enough) that the proposed accusations are mala fide? It is understandable that if malafides are shown, anticipatory bail should be granted in the generality of cases. But it is not easy to appreciate why an application for anticipatory bail must be rejected unless the accusation is shown to be mala fide. This, truly, is the risk involved in framing rule by judicial construction. Discretion, therefore, ought to be permitted to remain in the domain of discretion, to be exercised objectively and open to correction by the higher courts. The safety of discretionary power lies in this twin protection which provides a safeguard against its abuse.

माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **पी. चिदम्बरम् बनाम प्रवर्तन निदेशालय क्रिमि. अपील नंम्बर 1340/2019 निर्णीत दिनांक 09.09.2019** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत उन्हीं मामलों में दी जानी चाहिए जिनमें अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप आधारहीन तथा फर्जी प्रतीत होते हों।

माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्तों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण उपरोक्त में अभियुक्तगण नामित है तथा उनके विरूद्ध ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से गाली गलौज करते हुये एक दूसरे को जान से मारने की नीयत से लाठी, डण्डों व सरियों से मार पीट करने, फायरिंग व पथराव करने के अभियोग हैं, जिससे कई लोग घायल होना बताये हैं। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई आधार प्रकट नहीं किया जा सका है कि उन्हें वादी मुकदमा द्वारा झूठे मुकदमें में फंसाकर गिरफ्तार करा दिये जाने की आशंका परिलक्षित होती है। इस प्रकार पत्रावली

पर उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु यथेष्ट आधार उपलब्ध नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण हजारी लाल ,अमर सिंह ,दिवारी लाल ,महावीर, मेघ सिंह,भूप सिंह,संदीप, महाराज सिंह, मनोज, सोरन सिंह, राहुल, महेश, महावीर, धर्म सिंह, रवि एवं नीरज द्वारा अपराध संख्या– 215/2021 धारा–147, 148, 149, 307, 336, 34, 323, 504, 506, 269, 270, 188. भा.द.सं. व 51बी आपदा प्रबंधन अधिनियम व 7 कि0ला0अ0 एक्ट थाना–ढोलना, जिला–कासगंज में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(अनिल कुमार IV)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश
कासगंज
12.10.2022

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2022.10.12 17:35:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court